

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने की वांछा पर आक्षेप के लिए आवेदन			
सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर, ..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र महोदय, @में उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ। मेरे आक्षेप के समर्थन में विशिष्टियां नीचे दी जा रही हैं। या @में निवेदन करता हूँ कि *मुझसे/ *नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि इसमें आगे कथित कारणों से हटाए जाने के लिए अपेक्षित है :			
1. @उस व्यक्ति के, ब्यौरे जिसका नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप किया गया है : @उस व्यक्ति के ब्यौरे जिसकी प्रविष्टि हटायी जानी है :	नाम	उपनाम (यदि कोई है)	
	निर्वाचक नामावली के उस भाग की सं: जिसमें उसका नाम सम्मिलित किया गया है :	उस भाग में उसका/उसकी क्रम सं:	निर्वाचक की फोटो पहचान-पत्र सं., (यदि जारी किया गया है) :
2. #आक्षेपकर्ता के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई है)	
लिंग (पुरुष/स्त्री) :	निर्वाचक नामावली के उस भाग की सं. जिसमें आक्षेपकर्ता का नाम सम्मिलित किया गया है :	उस भाग में उसका/उसकी क्रम सं.	
पिता का नाम माता का नाम पति	नाम:	उपनाम (यदि कोई है)	
3. @ आक्षेपकर्ता/@नाम हटाए जाने वाले व्यक्ति के मामूली तौर पर निवास स्थान की विशिष्टियां (पूरा पता) :			
मकान/गृह सं. :			
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क :			
नगर/ग्राम :			
डाकघर :			
पिन कोड :			
तहसील/तालुका/मंडल/थाना :			
जिला :			

@पहला विकल्प निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने/उसका पुनर्विलोकन किए जाने के दौरान सुसंगत होगा। दूसरा विकल्प निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसे लगातार अद्यतन करने के दौरान सुसंगत होगा।

\*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

#भाग 2 यहां नहीं भरा जाना है जहां आवेदक स्वयं से संबंधित प्रविष्टि को हटाने की वांछा करता है।

क्र.सं./

आवेदन की रसीद

\*\*श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जो .....\*\*का/की निवासी है, से प्ररूप 7 में आवेदन प्राप्त हुआ।

तारीख .....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की ओर से  
आवेदन प्राप्त करने वाले आफिसर के हस्ताक्षर

(पता) .....

\*\*आवेदक द्वारा भरा जाना है।

4. *आक्षेप/*हटाए जाने के कारण :
5. घोषणा : मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य और विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही हैं।  स्थान : तारीख : <div style="text-align: right;">आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान</div>

टिप्पण : जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है, जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है।

\* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे (निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाना है)
--

श्री/श्रीमती/कुमारी .....जिसने प्ररूप 7 में निर्वाचक नामावली में श्री/श्रीमती/कुमारी के नाम को 'सम्मिलित किए जाने/'हटाए जाने का आक्षेप करने का आवेदन 'स्वीकार कर लिया गया है/\*नामंजूर कर दिया गया है।

\*स्वीकार करने [नियम 18\*/20\*/26 (4)<sup>£</sup> के अधीन या अनुसरण में,] या नामंजूर करने [नियम 17\*/20\*/26 (4)<sup>£</sup> के अधीन या अनुसरण में,] के लिए विस्तृत कारण :

स्थान : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर का हस्ताक्षर (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की मुद्रा)

तारीख :

\*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

<sup>£</sup>निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात निरंतर अद्यतन करने के दौरान।